**मूल हिंदी में**

**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 59**

**17.07.2017 को उत्‍तर के लिए**

**वन्‍य जीवों के शिकार पर अधिक जुर्माना**

**59. श्री सुरेन्‍द्र सिंह नागर :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि सरकार वन्‍य जीवों का शिकार करने पर कठोर सजा और अधिक जुर्माना लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्‍या सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉ. हर्ष वर्धन)**

**(क), (ख) और (ग)** वन्‍यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वन्‍य पशुओं का शिकार करने पर कड़े दण्‍ड का उपबंध किया गया है। तथापि, अति आवश्‍यक होने पर अधिनियम के उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उन्‍हें अधिक कड़ा और भयपरतिकारी बनाया जा सके।

\*\*\*\*\*\*\*